"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019 — श्रावण 7, शक 1941

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–13/2017/32. — भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"35. प्राधिकरण के समक्ष परिवाद (शिकायत) दाखिल करना तथा प्राधिकरण द्वारा जांच करना.– (1) कोई भी व्यथित व्यक्ति, जो सुने जाने का अधिकार रखता है, अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन किसी उल्लंघन के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्ररूप–ड में, परिवाद (शिकायत) दाखिल कर सकेगा, जिसके साथ राशि रूपये एक हजार का शुल्क विहित रीति में भुगतान करते हुए संलग्न किया जायेगा।

(2) जहां याचिकाकर्ता, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का विकल्प चुनता है, जैसा कि धारा 56 के अधीन उपबंधित है, तो ऐसे रूप में कार्य किये जाने के लिए लिखित प्राधिकार एवं ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति, दोनों मूल प्रति में, याचिका के साथ संलग्न किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण, उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त किसी भी परिवाद (शिकायत) को निर्णित करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित रीति में जांच के लिए संक्षिप्त प्रकिया का अनुपालन करेगा, अर्थात्:–

(क) परिवाद (शिकायत) प्राप्त होने पर, प्राधिकरण, ग्राह्यता के लिए इसका परीक्षण करेगा, यदि अर्थ (सार) के बिना या अधिकार क्षेत्र से परे या सुने जाने के अधिकार के बिना, किया जाना पाया जाता है, तो प्राधिकरण, लिखित आदेश के रूप में कारणों को अभिलिखित कर, इसे निरस्त कर सकेगा या इसे स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु यह कि उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त किसी भी परिवाद (शिकायत) को शिकायतकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना, निरस्त नही किया जायेगा;

(ख) यदि प्राधिकरण, प्रथम दृष्टया परिवाद (शिकायत) को स्वीकार योग्य पाता है तो वह प्रतिवादी को कथित उल्लंघन की विशिष्टियों तथा सुसंगत दस्तावेजों के साथ नोटिस जारी करेगा;

(ग) इस प्रकार नियत तारीख पर प्राधिकरण, यथास्थिति, प्रतिवादी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों या इसके अधीन निर्मित नियम या विनियम के संबंध में किये गये कथित उल्लंघन के बारे मे बतायेगा तथा यदि प्रतिवादी –

(एक) दोषी होने का अभिवाक् करता है तो प्राधिकरण, अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसार ऐसी शास्ति के अधिरोपण सहित ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा की वह उचित समझे;

(दो) दोषी होने का अभिवाक् नहीं करता है और शिकायत का प्रतिवाद करता है तो प्राधिकरण प्रतिवादी से लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(घ) यदि प्राधिकरण, किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर संतुष्ट होता है कि परिवाद (शिकायत) पर कोई अग्रतर जांच अपेक्षित नहीं है तो वह परिवाद (शिकायत) को खारिज कर सकेगा;

(ड.) यदि प्राधिकरण, किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर संतुष्ट होता है कि परिवाद (शिकायत) पर और आगे सुनवाई की आवश्यकता है, तो वह उसके द्वारा नियत तारीख एवं समय पर दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा;

(च) प्राधिकरण को दस्तावेजों एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर परिवाद (शिकायत) की जांच करने की शक्ति होगी, जिसमें उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से संचालित स्थल निरीक्षण भी शामिल है;

(छ) इस प्रकार नियत तारीख पर, प्राधिकरण उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं अन्य अभिलेखों तथा प्रस्तुतीकरण पर विचार कर संतुष्ट हो जाता है कि–

(एक) प्रतिवादी ने अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया है तो अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों या विनियमों के अनुसार शास्ति के अधिरोपण सहित ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे;

(दो) प्रतिवादी ने अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं किया है, तो विनियामक प्राधिकरण, लिखित में कारणों को लेखबद्ध कर, लिखित आदेश द्वारा, परिवाद (शिकायत) को निरस्त कर सकेगा।

(ज) यदि कोई व्यक्ति, प्राधिकरण के समक्ष यथा अपेक्षित उपस्थिति देने में विफल रहता है, अवहेलना करता है अथवा स्वयं उपस्थित/प्रस्तुत होने से इंकार करता है, तो प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् जांच जारी रखने की शक्ति होगी;

(झ) यदि प्रतिवादी, पंजीकृत परियोजना का प्रमोटर है या पंजीकृत अभिकर्ता है, तो प्राधिकरण के अभिलेख में उसके द्वारा दिये गये अद्यतन ईमेल पते पर ईमेल द्वारा नोटिस जारी करना पर्याप्त होगा तथा वह वैध रूप से तामिल किये जाने का प्रमाण होगा;

(ञ) नोटिस में सुनवाई का स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख होगा;

(ट) यदि प्रतिवादी, धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे रूप में कार्य किये जाने हेतु लिखित प्राधिकार एवं ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति, दोनो मूल प्रति में, सुनवाई के लिए नियत समय पर या उसके पूर्व प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा;

(ठ) प्राधिकरण को, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से किसी परिचित व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिये या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाने तथा उपस्थिति प्रवृत्त करने की शक्ति होगी जो प्राधिकरण की राय में जांच की विषयवस्तु के लिये सहायक या सुसंगत हो सकेगा तथा ऐसे साक्ष्य लेते हुए प्राधिकरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु बाध्य नहीं होगा;

(4) प्राधिकरण के दैनंदिनी कार्यों के लिए प्रक्रिया, जो अधिनियम या इन नियमों में विनिर्दिष्ट नही है, प्राधिकरण द्वारा स्वयं अवधारित किया जायेगा।"

2. नियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

"36" न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष परिवाद (शिकायत) दाखिल करने की रीति तथा न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच.– (1) कोई भी व्यथित व्यक्ति, धारा 12, 14, 18 तथा 19 के अधीन प्रतिकर के लिए प्ररूप–ढ में परिवाद (शिकायत) दाखिल कर सकेगा, जिसके साथ एक हजार रूपये का शुल्क विहित रीति में भुगतान करते हुए संलग्न किया जायेगा और जिसका विनिश्चिय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) परिवाद (शिकायत) के प्राप्त होने पर, प्राधिकारी, ग्राह्यता के लिए इसका परीक्षण करेगा, यदि प्रथम दृष्ट्या अर्थ (सार) के बिना या क्षेत्राधिकार से परे या सुने जाने के अधिकार के बिना, किया जाना पाया जाता है तो प्राधिकरण लिखित आदेश के रूप में कारणों को अभिलिखित कर, इसे निरस्त कर सकेगा या इसे स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा :

परंतु यह कि उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त किसी भी परिवाद (शिकायत) को शिकायतकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा।

(3) यदि प्राधिकरण, प्रथम दृष्टया परिवाद (शिकायत) को धारा 12, 14, 18, अथवा 19 के अधीन क्षतिपूर्ति हेतु प्रकरण के रूप में स्वीकार योग्य पाता है, तो इसे, आगे की कार्यवाही हेतु संबंधित न्याय निर्णायक अधिकारी को अंतरित करेगा।

(4) न्याय निर्णायक अधिकारी क्षतिपूर्ति पर निर्णय करने के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित रीति में जांच के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, अर्थात् : –

(क) परिवाद (शिकायत) प्राप्त होने पर, न्याय निर्णायक अधिकारी प्रमोटर को कथित उल्लंघन की विशिष्टियों और सुसंगत दस्तावेजों के साथ एक नोटिस जारी करेगा;

(ख) यदि प्रतिवादी किसी पंजीकृत परियोजना का प्रमोटर है तो प्राधिकरण के अभिलेख में उसके द्वारा दिए गए अद्यतन ईमेल पते पर ईमेल द्वारा नोटिस जारी करना पर्याप्त होगा एवं वह वैध रूप से तामिल किये जाने का प्रमाण होगा;

(ग) नोटिस में आगे की सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय का उल्लेख होगा;

(घ) यदि प्रतिवादी, धारा 56 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे रूप में कार्य करने के लिए लिखित प्राधिकार और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति, दोनों मूल प्रति में, सुनवाई हेतु नियत समय पर या उसके पूर्व न्याय निर्णायक अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा;

(ड.) इस प्रकार नियत तारीख पर, न्याय निर्णायक अधिकारी, यथास्थिति, प्रतिवादी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों या विनियमों के संबंध में किये गये कथित उल्लंघन के बारे में बतायेगा तथा यदि प्रतिवादी,–

(एक) दोषी होने पर अभिवाक करता है, तो न्याय निर्णायक अधिकारी अभिवाक को लेखबद्ध करेगा तथा अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों या विनियमों के अनुसार ऐसे प्रतिकर का अधिनिर्णय करेगा, जैसा कि वह उचित समझे;

(दो) दोषी होने का अभिवाक नहीं करता है तथा परिवाद (शिकायत) का प्रतिवाद करता है तो न्याय निर्णायक अधिकारी शिकायतकर्ता से लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा;

(च) यदि न्याय निर्णायक अधिकारी, किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर संतुष्ट होता है कि परिवाद (शिकायत) में कोई अग्रतर जांच अपेक्षित नहीं है, तो वह शिकायत को खारिज कर सकेगा;

(छः) यदि न्याय निर्णायक अधिकारी, किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर संतुष्ट होता है कि परिवाद (शिकायत) पर और आगे की सुनवाई की आवश्यकता है तो वह उसके द्वारा नियत तारीख एवं समय पर दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा;

(ज) न्याय निर्णायक अधिकारी को दस्तावेजों एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर परिवाद (शिकायत) की जांच करने की शक्ति होगी;

(झ) न्याय निर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से किसी परिचित व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिये या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाने तथा उपस्थिति प्रवृत्त करने की शक्ति होगी जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिये सहायक या सुसंगत हो सकेगा तथा ऐसे साक्ष्य लेते हुए प्राधिकरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु बाध्य नहीं होगा;

(ञ) इस प्रकार नियत तारीख पर, न्याय निर्णायक अधिकारी, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं अन्य अभिलेखों तथा प्रस्तुतीकरण पर विचार कर संतुष्ट हो जाता है कि –

(एक) प्रतिवादी किसी प्रतिकर के भुगतान हेतु दायी है तो न्याय निर्णायक अधिकारी, प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को ऐसा प्रतिकर, जैसा कि उचित हो, भुगतान करने का लिखित आदेश दे सकता है;

(दो) प्रतिवादी किसी प्रतिकर के भुगतान करने हेतु दायी नहीं है तो न्याय निर्णायक अधिकारी लिखित में कारणों को अभिलिखित कर, लिखित आदेश द्वारा, शिकायत को निरस्त कर सकता है।

(ट) यदि कोई व्यक्ति, न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष यथा अपेक्षित उपस्थिति देने से विफल रहता है, अवहेलना करता है अथवा स्वयं उपस्थित/प्रस्तुत होने से इंकार करता है तो न्याय निर्णायक अधिकारी को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् जांच जारी रखने की शक्ति होगी।

(5) धारा 71 की उप–धारा (2) में विहित प्रकरण के निपटारे की समय सीमा, न्याय निर्णायक अधिकारी को प्राधिकारी द्वारा प्रकरण के अंतरण की तिथि से संगणित की जायेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 7–13/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27–07–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 27th July 2019

NOTIFICATION

No. F 07-13/2017/32. — In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development), Rules, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 35, the following shall be substituted, namely:-

"35. Filing of the complaint before the Authority and inquiry by the Authority.- (1) Any aggrieved person having locus standi may file a complaint with the Authority for any violation under the Act or the rules or regulations made thereunder, in Form-M, which shall be accompanied by a payment of a fees amounting to rupees one thousand, in the manner prescribed.

(2) Where the petitioner chooses to be represented by an authorised person, as provided under Section 56, then written authorization to act as such and the written consent thereto by such authorised person, both in original, shall be appended to the petition.

(3) The Authority shall, for the purposes of deciding any complaint received under sub-rule (1), follow summary procedure for inquiry in the following manner, namely :-

(a) upon receipt of the complaint, the Authority shall examine it for admissibility; if it is found to be without substance or beyond jurisdiction or without locus standi, the Authority may reject it or decline to accept it, for reasons to be recorded in the form of a written order:

Provided that no complaint received under sub-rule (1) shall be rejected without giving an opportunity of hearing to the complainant or his authorised agent;

(b) if the Authority finds the complaint to be prima facie admissible, it shall issue a notice along with particulars of the alleged contravention and the relevant documents to the respondent;

(c) on the date so fixed, the Authority shall explain to the respondent, or his authorised agent, as the case may be, about the contravention alleged to have been committed in relation to any of the provisions of the act or the rules or regulation made there under and if the respondent:-

(i) pleads guilty, the Authority shall record the plea, and pass such orders including imposition of penalty as it thinks fit in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations, made thereunder;

(ii) does not plead guilty and contests the complaint the Authority shall require the respondent to submit an explanation in writing.

(d) in case the Authority is satisfied on the basis of the submissions made that the complaint does not require any further inquiry it may dismiss the same;

(e) in case the Authority is satisfied on the basis of the submissions made that there is a need for further hearing into the complaint it may order production of documents or other evidence on a date and time fixed by it;

(f) the Authority shall have the power to carry out an inquiry into the complaint on the basis of documents and submissions, including having site inspections conducted through persons authorised by it;

(g) on the date so fixed, the Authority upon consideration of the evidence produced before it and other records and submission is satisfied that –

(i) the respondent is in contravention of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder it shall pass such orders including imposition of penalty as it thinks fit in accordance with the provisions of the Act or the rules or the regulations made their under;

(ii) the respondent is not in contravention of the provisions of the Act or the rules and regulations made there under the regulatory authority may, by an order in writing, dismiss the complaint, with reasons to be recorded in writing.

(h) if any person fails, neglects or refuses to appear or present himself as required before the Authority, the Authority shall have the power to proceed with the inquiry in the absence of such person or persons after recording the reasons for doing so.

(i) if the respondent is a promotor of a registered project or is a registered agent, then issuance of the notice by e-mail to the up-dated e-mail address as given by him in the record of the Authority shall be sufficient and it shall be proved to be validly served;

(j) the notice shall specify the place, date and time for hearing;

(k) if the respondent chooses to be represented by an authorized person as per the provisions of Section 56, written authorization to act as such and the written consent thereto by such authorized person, both in original, shall be presented to the authority on or before the time fixed for hearing;

(l) the Authority shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case, to give evidence or to produce documents which in the opinion of the Authority, may be useful for or relevant to subject matter of the inquiry, and in taking such evidence the Authority shall not be bound to observe the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (11 of 1872).

(4) The procedure for day to day functioning of the Authority, which is not specified in the Act or in these Rules, shall be determined by the Authority itself."

2. For rule 36, the following shall be substituted, namely:-

"36. Manner of filing a complaint before the Adjudicating Officer and inquiry by the Adjudicating Officer.- (1) Any aggrieved person may file a complaint for compensation under Section 12, 14, 18 and 19 in Form 'N', which shall be decided by Adjudicating Officer, and shall be accompanied by payment in the manner prescribed of a fee of rupees one thousand.

(2) Upon receipt of the complaint the Authority shall examine it for admissibility; if it is prima facie found to be without substance or beyond jurisdiction or without locus standi, the Authority may reject it or decline to accept it, for the reasons to be recorded in the form of a written order:

Provided that no complaint received under sub-rule (1) shall be rejected without giving the complainant or his authorised agent an opportunity of being heard.

(3) If the Authority finds the complaint to be prima facie admissible as a case for compensation under sections 12,14,18 or 19, it shall transfer it to the concerned adjudicating officer for further action.

(4) The Adjudicating Officer shall for the purposes of adjudging compensation follow summary procedure for inquiry in the following manner, namely: -

(a) upon receipt of the complaint the adjudicating officer shall issue a notice along with particulars of the alleged contravention and the relevant documents to the promoter;

(b) if the respondent is a promotor of a registered project then issuance of the notice by e-mail to the up-dated e-mail address as given by him in the record of the Authority shall be sufficient and it shall be proved to be validly served;

(c) the notice shall specify a date and time for further hearing;

(d) if the respondent chooses to be represented by an authorised person as per the provisions of Section 56, written authorisation to act as such and the written consent thereto by such authorised person, both in original, shall be presented to the adjudicating officer on or before the time fixed for hearing;

(e) on the date so fixed, the Adjudicating Officer shall explain to the respondent or his authorised agent, as the case may be, about the contravention alleged to have been committed in relation to any of the provisions of the Act or the rules or regulation made thereunder and if the respondent,-

(i) pleads guilty, the adjudicating Officer shall record the plea, and award such compensation as he thinks fit in accordance

with the provisions of the Act or the rules or the regulations, made thereunder;

(ii) does not plead guilty and contests the complaint the adjudicating officer shall require the respondent to submit an explanation in writing;

(f) in case the adjudicating officer is satisfied on the basis of the submissions made that the complaint does not require any further inquiry it may dismiss the complaint;

(g) in case the adjudicating officer is satisfied on the basis of the submissions made that the there is need for further hearing into the complaint he may order production of documents or other evidence on a date and time fixed by him;

(h) the adjudicating officer shall have the power to carry out an inquiry in to the complaint on the basis of documents and submissions;

(i) the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce documents which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to subject matter of inquiry and taking such evidence, the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (11 of 1872);

(j) on the date so fixed, of hearing, the adjudicating officer upon consideration of the evidence and other records and submissions produced before it, is satisfied that -

(i) the respondent is liable to pay compensation, the adjudicating officer may, by order in writing, order payment of such compensation as deemed fit, by the respondent to the complainant: or;

(ii) the respondent is not liable to pay any compensation, the adjudicating officer may, by order in writing, dismiss the complaint, with reasons to be recorded in writing.

(k) if any person fails, neglects or refuses to appear or present himself as required before the adjudicating officer, the adjudicating officer shall have the power to proceed with the inquiry in the absence of such person or persons after recording the reasons for doing so.

(5) The time limit for disposal of the case prescribed in sub-section (2) of Section 71 shall be calculated from the date of transfer of the case by the Authority to the adjudicating officer."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.